

फरद अहकाम

(नियम 26)

उप खण्ड अधिकारी
बड़ीसादडी (चित्तौड़गढ़)

मुकाम

नारायण

बनाम

शंकरलाल

किस्म मुकदमा

(128)

नं.

18/18

सन्

तारीख
हुकम

या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में शामिल है

13.4.18

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.
अहकाम का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज
कर लिया गया। प्रार्थना पत्र का अवलाकन
कर लिया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई।
तहसीलदार बड़ीसादडी को कमीश्नर नियुक्त
किया जाकर आदेश दिया जाता है कि
नौजा.....

ग्राम बड़वल की
आ.न. 747 880 = 1.02 ₹ की
विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों
की मौजूदगी में की जावे।

प्रार्थी से कमीश्नरी फिस रुपये 1000/-
वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें।

पत्रावली में हुकमनामा जारी होकर
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

उपखण्ड अधिकारी
बड़ीसादडी

